

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML 01)/2025/ई-09814

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के निम्नांकित प्लॉट ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क रूपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका के कॉलम 9 के अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि. को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक:	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	खनिज का नाम	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है, विज्ञप्ति के साथ संलग्न है तथा विशेष विवरण
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सहायक खनि अभियन्ता, सावर प्लॉट क्रमांक: 149	राजकीय भूमि, चारागाह	रामालिया	मिनाय	अजमेर	1.6773	ग्रेनाईट, मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	335600	27.01.25	28.01.25	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-1
2	सहायक खनि अभियन्ता, सावर प्लॉट क्रमांक: 150	राजकीय भूमि, चारागाह	रामालिया	मिनाय	अजमेर	1.6811	ग्रेनाईट, मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	336400	27.01.25	28.01.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-2
3	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 178	राजकीय भूमि	पालडीव्यासा	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	27.01.25	28.01.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-3
4	खनि अभियन्ता, बून्दी-II परमिट क्रमांक: 01	राजकीय / सिवायचक भूमि	थडी	तालेड़ा	बून्दी	1.9633	एम-सेण्ड के निर्माण हेतु ऑवरबर्डन डंप के परमिट	1500000	39280	27.01.25	28.01.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-4
5	खनि अभियन्ता, बून्दी-II परमिट क्रमांक: 02	राजकीय / सिवायचक भूमि	थडी	तालेड़ा	बून्दी	2.3754	एम-सेण्ड के निर्माण हेतु ऑवरबर्डन डंप के परमिट	2500000	47520	27.01.25	28.01.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-5
6	खनि अभियन्ता, बून्दी-II परमिट क्रमांक: 03	राजकीय / सिवायचक भूमि	थडी	तालेड़ा	बून्दी	3.5176	एम-सेण्ड के निर्माण हेतु ऑवरबर्डन डंप के परमिट	2500000	70360	27.01.25	28.01.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-6
7	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 179	राजकीय भूमि	पालडीव्यासा	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	27.01.25	28.01.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-7



8	खनि अभियन्ता, सिरौही प्लॉट क्रमांक: 5/2024	राजकीय भूमि	वलदरा	सिरौही	सिरौही	1.2885	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	257800	28.01.25	29.01.25	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-8
9	खनि अभियन्ता, सिरौही प्लॉट क्रमांक: 6/2024	राजकीय भूमि	वलदरा	सिरौही	सिरौही	1.3795	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	276000	28.01.25	29.01.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.	एनेक्शर-9
10	खनि अभियन्ता, उदयपुर प्लॉट क्रमांक: 71	राजकीय भूमि (चारागाह भूमि)	चन्देसरा	घांसा	उदयपुर	1.083	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	216600	28.01.25	29.01.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेक्शर-10
11	खनि अभियन्ता, उदयपुर प्लॉट क्रमांक: 72	राजकीय भूमि (चारागाह भूमि)	चन्देसरा	घांसा	उदयपुर	1.1098	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	222000	28.01.25	29.01.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.	एनेक्शर-11
12	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा प्लॉट क्रमांक: 63	राजकीय भूमि	गढ़वाड़ा	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	28.01.25	29.01.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.	एनेक्शर-12
13	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा प्लॉट क्रमांक: 64	राजकीय भूमि	गढ़वाड़ा	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	28.01.25	29.01.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.	एनेक्शर-13
14	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट संख्या 03/2024	गैर मुमकिन पहाड़ व बंजड़	ढिढोल	बस्सी	जयपुर	1.5402	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	308200	28.01.25	29.01.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.	एनेक्शर-14
15	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट संख्या 04/2024	गैर मुमकिन पहाड़ व बंजड़	ढिढोल	बस्सी	जयपुर	1.50	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	300000	29.01.25	30.01.25	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-15
16	खनि अभियन्ता, झुंझुनु प्लॉट संख्या 95/2024	गैर मुमकिन पहाड़ व गैर मुमकिन आबादी	पचलंगी	उदयपुरवाटी	झुंझुनु	1.4934	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	298800	29.01.25	30.01.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.	एनेक्शर-16
17	खनि अभियन्ता, झुंझुनु प्लॉट संख्या 96/2024	गैर मुमकिन पहाड़ व गैर मुमकिन आबादी	पचलंगी	उदयपुरवाटी	झुंझुनु	1.0507	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	210200	29.01.25	30.01.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेक्शर-17
18	सहायक खनि अभियन्ता, बांरा प्लॉट नं. 08	बंजड़, राजकीय भूमि	गोरधनपुरा (परानिया)	किशनगंज	बांरा	1.0466	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	209400	29.01.25	30.01.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.	एनेक्शर-18
19	सहायक खनि अभियन्ता, बांरा प्लॉट नं. 09	बंजड़, राजकीय भूमि	गोरधनपुरा (परानिया)	किशनगंज	बांरा	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	29.01.25	30.01.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.	एनेक्शर-19
20	खनि अभियन्ता, सोजत प्लॉट क्रमांक 45	राजकीय भूमि	जवाली	रानी	पाली	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	29.01.25	30.01.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.	एनेक्शर-20
21	खनि अभियन्ता, सोजत प्लॉट क्रमांक 46	राजकीय भूमि	जवाली	रानी	पाली	1.35	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	270000	29.01.25	30.01.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.	एनेक्शर-21
22	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली प्लॉट संख्या 49	गैर मुमकिन पहाड़	मैड	विराटनगर	कोटपूतली-बह रोड़	1.7715	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	354400	30.01.25	31.01.25	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-22

23	सहायक खनि अभियंता, दौसा प्लॉट क्रमांक: 6	गैर मुमाकिन पहाड	सीकरी	सिकराय	दौसा	1.23	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1500000	246000	30.01.25	31.01.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-23
24	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांक: 55	चारागाह	भचडीया	दोवडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	30.01.25	31.01.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-24
25	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांक: 56	चारागाह	भचडीया	दोवडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	30.01.25	31.01.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-25
26	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांक: 65	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.0000	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	30.01.25	31.01.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-26
27	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांक: 7 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र)	राजकीय भूमि	छोटीलांक	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	30.01.25	31.01.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-27
28	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांक: 8 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र)	राजकीय भूमि	छोटीलांक	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	30.01.25	31.01.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-28
29	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांक: 9 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र)	राजकीय भूमि	छोटीलांक	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	1000000	200000	05.02.25	06.02.25	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-29
30	सहायक खनि अभियंता, नीमकाथाना प्लॉट क्रमांक: 61	चारागाह एवं गैर मुमाकिन पहाड	मण्डोली	नीमकाथाना	सीकर	2.2576	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	2500000	451600	05.02.25	06.02.25	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-30
31	सहायक खनि अभियंता, नीमकाथाना प्लॉट क्रमांक: 62	चारागाह एवं गैर मुमाकिन पहाड	मण्डोली	नीमकाथाना	सीकर	2.5811	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	2500000	516400	05.02.25	06.02.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-31
32	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 37	राजकीय भूमि	हाथनौदा	चौमू	जयपुर	0.4454	मैसेनरी स्टोन	200000	446000	05.02.25	06.02.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-32 खनन पट्टा संख्या 345/03, 111/92 एवं 22/2020 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा
33	खनि अभियन्ता, अलवर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 01/2024	राजकीय भूमि	नाहरपुर खुर्द	नौगांवा	अलवर	0.1951	मैसेनरी स्टोन	200000	196000	05.02.25	06.02.25	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.	एनेक्शर-33 खनन पट्टा संख्या 58/06, एवं 59/06 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा
34	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 42	राजकीय भूमि	भैराना	मौजमाबाद	जयपुर	0.0479	मैसेनरी स्टोन	200000	48000	05.02.25	06.02.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-34 खनन पट्टा संख्या 431/97 एवं 538/05 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा

35	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 43	राजकीय भूमि	भैराना	मौजमाबाद	जयपुर	0.0990	मैसेनरी स्टोन	200000	99000	05.02.25	06.02.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-35 खनन पट्टा संख्या 431/97, 538/05, 181/97 एवं 164/99 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा
36	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 44	राजकीय भूमि	भैराना	मौजमाबाद	जयपुर	0.0300	मैसेनरी स्टोन	200000	30000	05.02.25	06.02.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-36 खनन पट्टा संख्या 538/05 एवं 181/97 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा
37	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 45	राजकीय भूमि	भैराना	मौजमाबाद	जयपुर	0.0660	मैसेनरी स्टोन	200000	66000	05.02.25	06.02.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-37 खनन पट्टा संख्या 538/05, 533/05, 259/98 एवं 181/97 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा
38	खनि अभियन्ता, जयपुर प्लॉट (गैप) क्रमांक: 46	राजकीय भूमि	भैराना	मौजमाबाद	जयपुर	0.0240	मैसेनरी स्टोन	200000	24000	05.02.25	06.02.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-38 खनन पट्टा संख्या 533/05, एवं 259/98 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा

(अ) महत्वपूर्ण बिंदु:-

- क.स. 1 से 3 व 7 से 31 पर वर्णित खनन पट्टों की अवधि संविदा पंजियन दिनांक से 50 वर्ष के लिये होगी।
- क.स. 4 से 6 पर वर्णित एम-सैण्ड परमिट की अवधि 10 वर्ष के लिये होगी।
- क.स. 32 से 38 पर वर्णित गेप प्लॉट की ई-नीलामी कॉलम संख्या 14 में वर्णित पडोसी पट्टाधारियों के मध्य होगी तथा नीलामी उपरान्त सम्बन्धित गेप क्षेत्र उच्चतम पट्टेधारी बोलीदाता के खनन पट्टा क्षेत्र में जोड़ा जावेगा जिसकी अवधि संविदा पंजियन दिनांक से जोड़े जाने वाले मूल खनन पट्टे की अवधि तक रहेगी।
- ई-नीलामी में प्रस्तुत बोली राशि 30 करोड़ से अधिक होने पर बिड प्रतिभूति राशि प्रस्तुत बोली राशि की 25 प्रतिशत जमा करवानी होगी।
- आवंटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका में कॉलम संख्या 14 पर अंकित एनेक्चर अनुसार है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- क्रम संख्या 1 से 31 में वर्णित प्लॉटों की ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि सम्पूर्ण अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई-ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- क.स. 32 से 38 पर वर्णित गेप प्लॉट की ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि केवल एक बार, एक मुश्त जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 7(3) के द्वितीय परन्तुक के तहत अग्रिम रूप से बोली समाप्ति के 15 दिन में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त बोली की संपूर्ण बची हुई प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- खननपट्टे का आवंटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञापित के अंतर्गत होगी।

- 9 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई-नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई-नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई-नीलामी रद्द की जायेगी। ई-नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।
- 11 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 1, 2, 4 से 6 एवं 8 से 13 पर अंकित प्लॉट में दो से कम बोलीदाता अर्थात एकल बोलीदाता रहता है तो उस एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता- कमरा नं0 114, फर्स्ट फ्लोर, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 219) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉर्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु **नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/- एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा।** बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सीरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय के दौरान "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है, अन्यथा वे नीलामी के निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडींग में भाग नहीं ले सकेगें।
- 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन-शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।

9. मेसर्स एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्कुरिटी राशि से समायोजन उपरान्त क.स. 1 से 31 पर वर्णित प्लॉटों में प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत में से बची हुई राशि तथा क.स. 32 से 38 पर वर्णित गैप प्लॉट में सम्पूर्ण बची हुई प्रिमीयम राशि एकमुश्त जमा कराते हुए, निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
- (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/ खनन पट्टा/ क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र (राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के संशोधित नियम 85 के प्रावधान अनुसार) प्रस्तुत होने पर ही मान्य होंगे।
- (ii) विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/ खनन पट्टा/ क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाइट पर अपलोड है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट-**शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- (vi) PAN card / GSTIN की प्रति।
- (vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ झरईविंग लाईसेन्स/ मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- (viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- (ix) कम संख्या 4 से 6 पर वर्णित एम-सैण्ड परमिट हेतु 18 माह में एम-सैण्ड यूनिट स्थापित करने तथा 1 लाख रूपय की कीननीस मनी सबमिट करने की अण्डरटेकिंग।**
11. यदि सफल बोलीदाता द्वारा नियम 14(10) अनुसार पूर्तियां निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बड़ी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में प्रथम किश्त की सम्पूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराने पर जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये सफल बोलीदाता को आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जावेगा।
12. विज्ञप्ति के क्रम संख्या 1 से 3 व 7 से 31 पर अंकित प्लॉट को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 12 के तहत केवल एम सेण्ड यूनिट हेतु आरक्षित किया गया है। उक्त प्लॉट के संबंध में आवंटी एमसेण्ड नीति 2024 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार एवं समय-समय पर संशोधन अनुसार नियमों की पालना हेतु बाध्य रहेगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(IV)(ee) के अनुसार उपरोक्त आरक्षित किये गये खननपट्टों से निर्गमित खनिज का उपयोग केवल एमसेण्ड हेतु किया जायेगा। उपरोक्त खननपट्टों से निर्गमित खनिज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्यत्र बेचान / हस्तान्तरित/ निस्तारित नहीं कर सकेगा। उक्त नियम के परन्तुक के अनुसार एमसेण्ड निर्माण के दौरान अन्य उत्पाद जिसका एमसेण्ड के रूप में निर्गमन नहीं किया जा सकता उसको पट्टाधारी रॉयल्टी मय डीएमएफटी व अन्य शुल्क का भुगतान कर ई-रवन्ना के माध्यम से निर्गमित कर सकता है।
13. विज्ञप्ति के क्रम संख्या 4 से 6 पर अंकित एम-सैण्ड परमिट के प्लॉटों में खनिज निर्गमन पर शेड्यूल-II में वर्णित खनिज मेसेनरी स्टोन की प्रचलित रॉयल्टी दर की 50 प्रतिशत रॉयल्टी देय होगी तथा डीएमएफटी में पूर्ण रूप से छूट रहेगी।
14. Rajasthan Investment Promotion Scheme,2024 तथा उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार प्रावधान नये एम-सेण्ड यूनिट पर लागू होंगे।

- 15 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 1 से 31 पर अंकित प्लॉटो के संबंध में उच्चतम बोलीदाता राजस्थान खनिज रियायत नियमावली 2017 तथा एम-सेण्ड नीति 2024 एवं इनमें समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार पालना हेतु बाध्य रहेगा।
- 16 यदि कोई प्लाट की भूमि चारागाह भूमि / आंशिक चारागाह भूमि हैं, उनमें Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम बोलीदाता को उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यापित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यापन हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार / सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खनन कार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खनन पट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगी।
- 17 यदि कोई प्लाट वन क्षेत्र में आते हैं तो सफल बोलीदाता को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि का अनारक्षण अपने स्तर से कराना होगा।
- 18 यदि कोई प्लॉट राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 11(1) के प्रावधानों के अनुसार Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in Their Application to the Schedule Areas), Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) के अनुसार पंचायती राज संस्थान के सक्षम स्तर से पूर्व अनुशंषा प्राप्त करने के उपरान्त ही उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति किया जायेगा।
- 19 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 8 पर अंकित प्लाट के सीमा स्तम्भ ए, बी, सी के सहारे एवं सी-डी, जी-एच को क्रॉस कर दो एल.टी. (इलेक्ट्रीक लाईन) गुजरती है। अतः उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के स्तर पर विद्युत विभाग से एन.ओ.सी. अथवा इलेक्ट्रीक लाईन को विस्थापित करवाना होगा।
- 20 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 9 पर अंकित प्लाट के सीमा स्तम्भ ए-डी-सी-डी के सहारे कृषि कुओं पर जाने वाली एल.टी. (इलेक्ट्रीक लाईन) गुजरती है। अतः उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के स्तर पर विद्युत विभाग से एन.ओ.सी. अथवा इलेक्ट्रीक लाईन को विस्थापित करवाना होगा।
- 21 ई नीलामी प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 10 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित समयावधि में नियमानुसार आवश्यक पूर्ति करनी होगी।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML 01)/2025/ई-09814
प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम एस टी सी लिमिटेड की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
स - खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-1/II/आमेर/भीलवाडा/चित्तौडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/ दुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
द -सहायक खनि अभियन्ता, टोंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरु/ नीमकाथाना/सावर/खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक